दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

चक्रधर गौशाला में रामदास ने दिया दुधारू गाय

रायगढ़। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय मंत्री तथा रामदास द्रौपदी फाउन्डेशन के संरक्षक रामदास अग्रवाल ने स्थानीय चक्रधर गौशाला में एक दुधारू गाय का दान दिया। जिसको उन्होने गत दिनों गौशाला में जाकर देखा और गाय के अच्छी देखरेख के लिए गौशाला समिति की प्रशंसा करते हुए बताया कि चक्रधर गौशाला शहर का सबसे पुराना गौशाला है तथा इस गौशाला में गायों का देखरेख भलि भांति किया जा रहा है।

किडनी कांड- प्रशासन गंभीर, जांच के आदेश

रायगढ़। खरसिया का किडनी कांड मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। जहां इस घटना की चर्चा नीचे से ऊपर तक हो रही है, तो वहीं प्रशासन ने इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। साथ ही किडनी निकालने के मामले में पुलिस भी कोई कोताही नही बरतना चाहेगी। शायद यही वजह है कि एसडीओपी खरसिया द्वारा इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। जिस तरह से पथरी निकालने के नाम से किडनी भी निकाल कर पूरी किडनी गायब कर दी गई है। इसमें किसी ब? षड्यंत्र की बू आ रही है। चर्चा है कि यदि किडनी में समस्या थी भी तो बिना परिजनों की जानकारी के नही निकाल सकते है। ऑपरेशन पथरी की समस्या के लिए था जबकि परिजनों द्वारा पूर्व में ऑपरेशन के पूर्व कराए गए सभी टेस्ट को कई दूसरे डॉक्टरों को दिखाकर किडनी में किसी समस्या की जानकारी ली गई। महिला के किडनी में किसी भी तरह की ऐसी कोई गंभीर समस्या नही थी जिसे बिना किसी जानकारी के और आनन फानन में निकाल दी जाए। ऐसे अस्पताल में ऑपरेशन करने वाले तीनो डॉक्टर संदेह के घेरे में हैं। सूत्रों बताते हैं कि डॉक्टर पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पथरी के छोटे से ऑपरेशन के लिए महिला के बेटों से एक कागजात पर ऑपरेशन पूर्व सहमति का हस्तक्षर कराया है। यही से षड्यंत्र की बू आ रही है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में तीनो डॉक्टर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। खरसिया क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा जोरों पर शुरू हो गया है कि तीनो डॉ व्ही एस राठिया, डॉ सजन अग्रवाल और डॉ आरके सिंह मामले को दबाने के लिए हर तरीका अपनाने की तैयारी में भी है जिसमे शाम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाना पड़े अपनाएंगे।

परिजनों को क्यों नहीं सौपी किडनी

चर्चा यह भी है कि जब किडनी निकलना जरूरी था तब निकली गयी किडनी को पी?ता के परिजनों को क्यों नहीं सौपी गयी। परिजनों की जानकारी के बिना ही किडनी कहां भेज दी गयी। कहीं ब?ी साजिश के तहत तो नहीं इस किडनी कांड को अंजाम दिया गया। बहरहाल यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मामला गंभीर मानते हुए और चिकिसीय तकनीक का होने की वजह से एसडीओपी द्वारा आरम्भिक तौर पर समस्त दस्तावेजो को जप्त किये जाने की सूचना है।

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कोरेक्स डीलर को रायपुर जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाएगी सरिया पुलिस

न्यायासाक्षी/रायगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोरेक्स सिरप की सप्लाई करने वाले सबसे बड़े मेन डीलर को जल्द ही सरिया पुलिस रायपुर जेल से ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाएगी। सरिया पुलिस की टीम ने रायपुर जाकर आरोपी की फॉर्मल गिरफ्तारी भी कर ली है। बस उसे रायगढ़ लाने की तैयारी चल रही है। ज्ञात हो कि आरोपी अभिषेक वर्मा सरिया क्षेत्र में हुए कोडिन सिरप की तस्करी का मुख्य आरोपी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीन जून को सरिया पुलिस की टीम रायपुर न्यायालय पहुंची थी। जहां मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी गई कि रायपुर जेल में बंद अभिषेक वर्मा सरिया क्षेत्र में हुए कोडिन तस्करी का आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करनी है। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की टीम रायपुर जेल पहुंची और आरोपी की फार्मल गिरफ्तारी कर वापस लौट आई। अब पुलिस का कहना है कि प्रक्रिया के तहत रायगढ़ न्यायालय में विशेष न्यायाधीश से अनुमति मांगी जाएगी कि आरोपी अभिषेक वर्मा अपराध क्रमांक 61-19 धारा 21,22 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है, जोकि फरार था। वर्तमान में वह रायपुर जेल में बंद है, ऐसे में पुलिस टीम रायपुर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी फॉर्मल गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसे रायगढ़ न्यायालय में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के बाद पुलिस फिर से रायपुर न्यायालय जाएगी। फिर वहां का मजिस्ट्रेट जेल को आदेश देगा कि उक्त आरोपी को सरिया पुलिस को सौंपा जाए।

इसके बाद ही आरोपी को रायगढ़ लाया जाएगा। इस संबंध में सरिया टीआई एके वासनिक का कहना है कि 6 जून को रायगढ़ न्यायाधीश को ट्रांजिट रिमांड के लिए पत्र लिखा जाएगा। वहीं अनुमति मिलने के बाद आरोपी को पुलिस रिमांड में लेने की भी मांग की जाएगी। ताकि पूछताछ में यह खुलासा हो सके कि वह दो राज्यों में इतनी भारी मात्रा में कोरेक्स की सप्लाई कैसे करता है और लाता कहां से है।

इस संबंध में सरिया टीआई एके वासनिक ने बताया कि सरिया और बरमकेला क्षेत्र के लोग नशे के रूप में कोरेक्स सेवन करने के आदी बन गए थे। उक्त क्षेत्र कोरेक्स सिरप का गढ़ बन गया था। लगातार कई मामले सामने भी आ रहे थे। लेकिन जबसे अभिषेक वर्मा को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तब से इधर कोरेक्स सिरप आ ही नहीं रहा है। ऐसे में टीआई ने कहा कि आरोपी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोरेक्स सिरप की सप्लाई करने का मुख्य डीलर था।

बारिश को लेकर बेपरवाह है निगम प्रशासन

मुसीबत बढ़ाएंगे शहर के छोटे बड़े नाले

न्यायासाक्षी/रायगढ़। शहर में एक बार फिर नाला लोगों के लिए मुसीबत साबित होगा। इसके पीछे कारण यह है कि बारिश शुरू होने के महज एक पखवाड़ा ही शेष है। इसके बाद भी शहर के नालों की सफाई नहीं हो सकी। अभी भी शहरी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक नालें है, जहां सफाई शुरू ही नहीं हो सकी। वहीं जिन स्थानों के नालों पर नगर निगम के अधिकारी सफाई का दावा कर रहे हैं वहां मलबा निकाल कर नाला के किनारे ही रखा गया है, जो बारिश होने के साथ फिर से नाला में समाएगा और स्थिति जस की तस रह जाएगी। नगर निगम के द्वारा हर साल बारिश से पूर्व नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। इस तरह की स्थिति पिछले कुछ सालों से हर बार देखी जा रही है। अभी भी कई नालों की सफाई शुरू नहीं हो सकी है। बैकुंठपुर बावली कुआं क्षेत्र की स्थिति पर गौर करे तो यहां की बारिश के दिनों में मुख्य समस्या भूजबंधान की डबरी से होती है। यहां बारिश का पानी जाम होने से ओवर फ्लो होकर पानी डबरी से रिटर्न होता है और आसपास लोगों के घरों में घुसता है। इस बात की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से भी की जा रही है, लेकिन अभी तक नाला की सफाई शुरू नहीं हो सकी। इसी तरह की स्थिति कांदाजोर नाला के आधे हिस्से में देखने को मिल रहा है।यह कांदाजोर नाला डीपाखोल डेम से निकला है और शहर के भगवानपुर, ढिमरापुर, इंदिरा नगर होते हुए केलो नदी तक आता है। इसमें ढिमरापुर क्षेत्र में पडने़ वाले स्थान की सफाई हुई है, लेकिन सफाई के नाम पर यहां खानापूर्ति ही की गई है।

ग्राम पंचायत नवागांव की सामुदायिक शौचालय की चोरी

रायगढ़। जिले में चोरी के कई वारदात सामने आई है, लेकिन जिले अब शौचालय भी चोरी होने की बात सामने आई है। यह घटना चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवागांव में हुई है। इस बात की रिपोर्ट लिखाने भी ग्रामीण पहुंचे थे। ग्रामीणों ने इस मामले में गांव की सरपंच व सचिव के खिलाफ शिकायत दी है। इस मामले की शिकायत लेकर चक्रधर नगर थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में धांधली की आशंका को लेकर सूचना के अधिकार के तहत आडिट रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई। वहीं जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिली तो इसमें इस बात का उल्लेख था कि वर्ष 2016-17 में नवागांव ग्राम पंचायत में दो लाख 28 हजार 392 रुपए का सार्वजनकि शौचालय बनाया गया है। खास बात यह है कि ग्राम पंचायत नवागांव में आश्रित ग्राम के रूप में छिरवानी, चक्रधरपुर, धुमाबहाल शामिल है।

इन चारों गांव में कहीं भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। मामले की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने गांव में आपसी सलाह मशवरा किया।

इस सलाह मशवरे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ग्राम पंचायत के आडिट रिपोर्ट में जब सार्वजनिक शौचालय का निर्माण दर्शाया गया है तो इसका निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। वहीं अब जब सार्वजनिक शौचालय नहीं है, तो इसे चोरी माना गया। वहीं इस सार्वजनिक शौचालय की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वे चक्रधर नगर थाना पहुंचे थे। चक्रधर नगर थाना के अलावा इस मामले की शिकायत रायगढ़ जनपद पंचायत से भी की गई है। सार्वजनिक शौचालय को चोरी करने का आरोप ग्रामीणों ने सरपंच उर्मिला राठिया व तात्कालीन सचिव पंकज मालाकार पर लगाया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री ... श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्ना श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ... एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Tarun 90% Yamini 98% Shraddha 93% Priyanka 96% Prerna 84% Hitendra 99% Akanksha 90% Geetanjali 99% Chetna 94% Arpita 93% Arpita 98% Rakesh 97% Sejal 88% Shiva 97%

Topper Students Last Session

Sushant 92% Prince 97% Kusum 98% Abhishek 99% Aayush 93% Prachi 97% Tulika 96% Pari 96% Aradhya 97% Ananya 99% Ashish 96% Ankita 99%

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480